न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 248 / 2012

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मूलचन्द आयु 77 वर्ष पुत्र नवलाराम जाति जांगिड़ निवासी ढाणी स्वय खेत खसरा नम्बर 63 वाके ग्राम खुर्दी तहसील धोद जिला सीकर।
2 जगदीश प्रसाद पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी ग्राम बिंजासी तहसील धोद जिला सीकर।

सत्यमेव जयते

अपीलांट

Web Copy - Not Official

बनाम

1 मनसुखी बेवाह पेमाराम जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर जरिये मुख्तयार मूलचन्द पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी चन्देली का बास तन सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
1/1 भंवरी देवी पुत्री मनसुखी पत्नी रामनिवास जाति जांगिड़ ब्राहम्ण हाल निवासी पति घर ग्राम सरदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

1/2 कमला देवी पुत्री मनसुखी पत्नी नौरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी पति घर ग्राम सरदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2 मूलचन्द पुत्र चुन्नीलाल (फोत)।
2/1 प्रभुदयाल पुत्र मूलचन्द।
2/2 गजानन्द पुत्र मूलचन्द।
2/3 शिवप्रसाद पुत्र मूलचन्द।
2/4 मदनलाल पुत्र मूलचन्द।
2/5 आनन्दीलाल पुत्र मूलचन्द।
2/6 पवन कुमार पुत्र मूलचन्द।
2/7 रामचन्द्र पुत्र मूलचन्द समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
2/8 विक्रम पुत्र मनोहरी पुत्री मूलचन्द।
2/9 सुरेन्द्र उम्र 14 वर्ष पुत्र मनोहरी पुत्री मूलचन्द।
2/10 सुमन उम्र 9 वर्ष पुत्री मनोहरी पुत्री मूलचन्द जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता ओमप्रकाश।
2/11 ओमप्रकाश पुत्र नानगराम जाति जांगिड़ निवासी बिठुआ तहसील लाडनू जिला नागौर।
2/12 पुष्पा पुत्री मूलचन्द।
2/13 सन्तोष पुत्री मूलचन्द जाति जांगिड़ निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
2/14 लक्ष्मी देवी बेवा मूलचन्द जाति जांगिड़ निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
3 भंवरी पुत्री पेमाराम पत्नी रामनिवास।
4 कमला पुत्री पेमाराम पत्नी नौरगंलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासी सरदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

6 उप पंजियक अधिकारी सीकर।

7 मोहनलाल पुत्र टीकूराम जाति ब्राहम्ण निवासी रैवासी तहसील व जिला सीकर।

8 कनिष्ठ अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. धोद जिला सीकर।

9 सहायक अभियन्ता अ.वि.वि. नि.लि. धोद जिला सीकर।

10 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रामीण) अ.वि.वि.नि.लि. सीकर।

11 ज्ञानाराम पुत्र लखूराम जाति जाट निवासी दुगोली तहसील व जिला सीकर।

12 बजरंग लाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी नेतड़वास तहसील व जिला सीकर।

13 केशरदेव पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर।

14 मूलचन्द पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी बिजारणीयों की ढ़ाणी तन सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।

15 राजेश पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी बिजारणीयों की ढ़ाणी तन सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक
20.11.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर पीठासीन अधिकारी अनुपम कायल आर.ए.एस
दावा संख्या 309/08(10/93,136/99,52/03)
बउनवानी श्रीमती मनसुखी बनाम मूलचन्द आदि
दावा इस्तकरार व बंटवारा व हुक्म इम्तनाई अन्तर्गत
धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—22.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा वाद संख्या 309/08 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा इस्तकरार व बंटवारा व हुक्म इमतनाई अन्तर्गत धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 5.83 हैक्टेयर तन ग्राम खुर्दी तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दौराने अपील प्रार्थीगण अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2 के मध्य आपसी समझाईश एंव लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया गया पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। तदुपरान्त इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने मुताबिक राजीनामा निर्णय करने पर सहमती व्यक्त की।

पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमती एवं राजीनामें के अवलोकन के उपरान्त लोक अदालत की भावना से अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री इस प्रकार संशोधित करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाता है कि " अपीलांट संख्या 1 के स्थान पर अपीलांट संख्या 2 का नाम एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के स्थान पर रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2 का नाम अंकित करके फर्द मौका कार्यवाही दिनांकित 25.11.2012 के अनुसार अंतिम डिक्री विचारण न्यायालय पारित करें। राजीनामा की प्रति विचारण न्यायालय को निर्णय के साथ भिजवाई जायें। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29-10-18 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर